

डिक्री बमुकदमें ईब्लादाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मांगीलाल आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 128/2020

1. लखविन्द्रसिंह पुत्र गुरदतसिंह } जाति जटसिख निवासी सिलवाला कंला तहसील
2. गुरप्रीतसिंह पुत्र बलविन्द्रसिंह } टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. गुरदतसिंह } पि० हरनेकसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कंला तहसील
2. बलविन्द्रसिंह } टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. मनवीरकौर पुत्री बलविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कंला तहसील टिब्बी  
जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि क. वादीसं० 1 लखविन्द्रसिंह को प्राप्त आराजी:- चकनं० 644 आरडी के खाता सं० 86/33 में गुरदतसिंह का 1/4 हिस्सा, चकनं० 1 जीजीआर के खाता सं० 32/28 में गुरदतसिंह का 1/8 हिस्सा ख. वादीसं० 2 गुरप्रीतसिंह को प्राप्त आराजी:- चकनं० 644 आर डी के खाता सं० 86/33 में बलविन्द्रसिंह का 1/4 हिस्सा, चकनं० 1 जीजीआर के खाता सं० 32/88 में बलविन्द्र सिंह का 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं० 644 आरडी के खाता सं० 86/33 व चकनं० 1 जीजीआर के खाता सं० 32/28 में से प्रतिवादी सं० 1 गुरदतसिंह व प्रतिवादीसं० 2 बलविन्द्रसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें  
के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....  
अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 10.09.2020 को जारी  
किया गया।



*hialal*  
( मांगीलाल )  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
टिब्बी